



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 27.02.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38/25 धारा
190/191(2)/191(3)/103(1)/238ए/61(2)/123 BNS में प्रकाश में आई 02
महिला अभियुक्ता सहित 06 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे
से आलाकत्ल 01 पेड काटने वाला बुगदा/दाव व घटना में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट
डिजायर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.25 को
थाना छपरौली पर वादी श्री
असगर पुत्र हाजी अख्तर
निवासी पट्टी धनकौशिया
कस्बा छपरौल थाना
छपरौली जनपद बागपत ने
सूचना दी की वादी का पुत्र
फैसल उम्र करीब 21 वर्ष
जो दिनांक 15.02.25 को



घर से बिना बताये कहीं चला गया है और वापस नहीं आया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर
के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 38/25 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया
गया।

नोट- अवगत कराना है कि दिनांक 21-02-2025 को थाना छपरौली पर वादी ने सूचना दी
कि दिनांक 15-02-2025 को वादी का पुत्र फैसल उम्र करीब 21 वर्ष बिना बताए कहीं चला
गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना छपरौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत
किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त परवेज पुत्र इनाम
निवासी कस्बा व थाना छपरौली का नाम प्रकाश में आया, जिससे पूछताछ की गई तो उसने
अपने अन्य साथियों 1-सावेज पुत्र इसरार 2-रिहाना पत्नि इनाम 3-इनाम पुत्र मंगता
निवासीगण कस्बा व थाना छपरौली बागपत 4-दानिश पुत्र यामीन निवासी मौ0 कस्यावान
थाना शाहपर मजफ्फरनगर 5-शमा पत्नि सोन निवासी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद के

साथ मिलकर फैसल की हत्या कर शव को थाना चांदीनगर क्षेत्र ग्राम हरशिया चमराबल रोड हिन्दन नदी में फेंकना बताया। दिनांक 26-02-2025 को अभियुक्त परवेज की निशांदाही पर फैसल का शव बरामद किया गया है। उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 140(3) बीएनएस को धारा 103(1)/191(2)/191(3) /190/61(2)/238ए/3(5) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 38/25 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/238ए/61(2)/123 BNS में प्रकाश में आई 02 महिला अभियुक्ता सहित 06 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 पेड काटने वाला बुगदा/दाव व घटना में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट डिजायर नं. UP-17AT-0624 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त परवेज ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा वर्ष 2021 में फैसल व उसके घर वालों से झगडा व मारपीट हुई थी, जिसका हमने फैसल के घर वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। इसी घटना का बदला लेने के लिए मैंने समा, सावेज, इनाम, अभिषेक, दानिश व रिहाना के साथ फैसल को प्रेमजाल में फंसाने तथा हत्या करने की योजना बनाई, योजना के अनुसार दिनांक 15.02.25 को समा ने फैसल को फोन कर बागपत अपने कमरे पर बुलाया तथा उसको चाय में नींद की गोलिया दे दी। योजना के अनुसार हम लोग फैसल को गाडी में डालकर चांदीनगर के पास हरशिया कलां के जंगल में हिन्दन नदी के किनारे लेकर आ गये तथा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी उसके बाद हमने बुगदा/दांव से फैसल की गर्दन व पेट काट दिया तथा शव को एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर हिन्दन नदी में फेंक दिया ताकि फैसल का शव किसी को ना मिल सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-परवेज पुत्र इनाम निवासी पट्टी चौधरान मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-सावेज पुत्र इसरार निवासी पट्टी चौधरान मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-रिहाना पत्नि इनाम निवासी पट्टी चौधरान मौ० कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

4-इनाम पुत्र मंगता निवासी पट्टी चौधरान मौ० कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-दानिश पुत्र यामीन निवासी मौ० कस्यावान कस्बा व थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फनगर ।

6-शमा पत्नि सोनू निवासी निकट डाबर का तालाब केले के गोदाम के पास कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पेड काटने का बुगदा/दांव ।
- घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं. UP 17AT 0624

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-व०उ०नि० श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली

4-उ०नि० श्री अमित कुमार गोला थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-उ०नि० सूर्यदीप सिंह प्रभारी स्वाट टीम मय टीम ।

6-है०का० 586 लोकेश भाटी थाना छपरौली ।

7-का० 633 जहांगीर थाना छपरौली ।

8-का० 227 अनिल कुमार डागर थाना छपरौली ।

9-म०है०का० 461 उमेश थाना छपरौली ।

10-म०का० 15 उमलेश थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27-02-2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त प्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवेश कुमार उर्फ रामप्रवेश पुत्र होराम निवासी ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0यू0टी0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक 27.02.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 36/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 13 वर्ष के नाबालिक गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर परिजनो को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 36/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 13 वर्ष के नाबालिक गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया है।



परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जिला बागपत।

2-कम्प्यूटर आपरेटर सुमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनदप बागपत

थाना रमाला

दिनाँक 27.02.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 199/2024 धारा 137(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 41/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस एवं मु0अ0सं0 199/2024 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला बागपत ।
- 3-म0है0का0 48 मीनू शर्मा थाना रमाला बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 पूजा यादव थाना रमाला बागपत ।
- 5-है0का0 351 पवन नागर थाना रमाला बागपत ।
- 6-का0 1061 अनुराग यादव थाना रमाला बागपत ।